न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2020 Rcms No. 2020/00001
दायरा तिथि : 03.01.2020
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 23.02.2021 फाईनल डिक्री दिनांक

वादी :–
इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंहजी जाति राजपूत
निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भगवानसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
2. मंगलसिंह पुत्र नाथूसिंहजी
3. मगसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
4. रूपसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
5. स्व. सोहनसिंह पुत्र भैरूसिंहजी के कानु. वारिशानः
   5/1 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंहजी
   5/2 छगन कुंवर पुत्री सोहनसिंहजी तमाम जाति राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री प्रदीप चौधरी .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री देवेन्द्र सिंह .... प्रतिवादी सं0 04 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 5/1 व्यक्तिशः उपस्थित
4. श्री रमेश राव नायब तहसीलदार बाली.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक :

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ग्राम बीजापुर में स्थित निम्न वर्णन की भूमि संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के 1/12 वां हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया:–

खसरा नंबर	क्षैत्रफल	किस्म
1645	0.8900 हैक्टर	चाही दोयम
1646	0.5500 हैक्टर	चादो, जादो
1647	0.5500 हैक्टर	चा.दो.जा.दो.
1648	0.0100 हैक्टर	गै.मु. बेरा
1649	0.0400 हैक्टर	गै.मु. गवाल
1650	0.7800 हैक्टर	च.दो.जा.दो.
1651	0.0300 हैक्टर	गै.मु. तेड
कुल खसरा–07 कुल रकबा 2.85 हैक्टर वार्षिक लगान 80.66 रू.		

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 05 बावजुद सम्मन तामील के न्यायालय में नियत पेशीयो पर वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। विभाजन के उक्त वाद में तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने तथा जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 27.10.2020 को न्यायालय द्वारा तहसीलदार, बाली का जवाब अवसर बंद करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 28.10.2020 को वादी पक्ष की ओर से गवाह वादी स्वयं इन्दरसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर प्रदर्श लगाये जाकर बयान पूर्ण किये जाकर पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकील वादी श्री प्रदीप चौधरी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में इन्द्राज के अवलोकन से प्रमाणित है कि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 कुल खसरा–07 कुल रकबा 2.85 हैक्टर में वादी इन्दरसिंह का 1/12 हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के नाम संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र में इसी को आधार बनाते हुये बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की मांग की है। जिस तथ्य को प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य भी स्वीकार करते है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

राजस्व वाद संख्या : **2/2020** **Rcms No. 2020/00001** इन्दरसिंह बनाम भगवानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 कुल खसरा–07 कुल रकबा 2.85 हैक्टर कुल लगानी 80.66 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत दिनांक 23.02.2021 को जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक भू.अ./2021/1189 दिनांक 09.07.2021 से पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं कर रेकर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार व जारी पीडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में कठिनाई व्यक्त करते हुये मार्गदर्शन चाहा जिसके संबंध में न्यायालय आदेशिका दिनांक 09.07.2021 से स्पष्टीकरण करते हुये संशोधित आदेश जारी किये गये। जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार बाली ने कार्यालय पत्रांक भू.अ./2021/1283 दिनांक 28.07.2021 से विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधिवक्ता वादी पक्ष द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने से प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में जवाब प्राप्ति के पश्चात उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनने के बाद दिनांक 25.07.2022 को आदेश पारित करते हुये तहसीलदार बाली से आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मददेनजर रखते हुये पुनः विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। प्रकरण विभाजन प्रस्ताव हेतु लंबित रहते हुये प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्दसिंह की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का बीजापुर द्वारा दिनांक 20.08.2021 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुये पेश की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वादी व प्रतिवादी पक्ष दोनों की उपस्थिति में उनके अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री प्रदीप चौधरी ने पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति को ध्यान में रखते हुये ही प्राप्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही निर्णय किये जाने की दलील दी। वकील वादी पक्ष द्वारा दलील दी गई की विभाजन रिपोर्ट में वादी के हिस्से बंट में प्रस्तावित खसरा नं 1651 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. तेड की भूमि है जहां पर खडडा है जो काश्त योग्य नही, अनुपजाउ है। अतः प्रस्तुत आपति को मददेनजर रखते हुए खसरा नं 1651 को या तो शामलात में रखा जावें अथवा प्रतिवादीगण के बंट में रखा जावें तथा इसके बदले वादी को खसरा नं 1650 में से इतनी भूमि दी जावें। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिह द्वारा वकील वादी की दलीलों का खण्डन करते हुए दलील दी गई की खसरा नं 1651 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै0मु0 तेड मौके पर खडडा नहीं होकर समतल है। जिसकी फोटोग्राफ प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी पक्ष के पूर्व में प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ सलग्न पेश किए है। खसरा नं 1651 गै.मु. तैड की भूमि है परंतु प्रस्तुत फोटोग्राफ के अनुसार भूमि अकृषि योग्य नही है। तथा इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है अतः वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपतियों को खारिज करते हुए प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किए जाने की दलील दी।

पत्रवाली व उपलब्ध रेकॅर्ड का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादी द्वारा ही संयुक्त सहखातेदारी भूमि के विभाजन का वाद पेश किया गया है। विभाजन के उक्त वाद में न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का बिजापुर द्वारा दो बार विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। परंतु हर बार वादी पक्ष द्वारा ही ऐतराज/आपति प्रस्तुत किए जा रहें है। अब न्यायालय कें समक्ष सभी पक्षकार उपस्थित होने तथा पक्षकारों को सुनने के प्श्चात विवाद का स्थायी समाधान हो, इस हेतु प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपति को मददेनजर रखते हुए तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ/2021/1283 दिनांक 28.07.21 के अनुसार खसरा नं 1651 रकबा 0.03 हेक्टर गै.मु. तैड की भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में रखतें हुए एवं इसके बदले 0.03 हैक्टर वादी को खसरा नं 1650 में से तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में खसरा नं 1650/1 से लगता हुआ भू–भाग रखते हुए ग्राम बिजापुर स्थित भूमि खसरा नं 1645 से 1651 कुल खसरा–7 कुल रकबा 2.85 हैक्टर कुल लगान 80.66 के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है।

क्र.स.	नम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	विवि
1	इन्दर सिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/1	0.21 हैक्टर	जा.दो 0.05 चा.दों 0.16	0.55 5.12	
		1650/4	0.03 हैक्टर	जा.दो 0.01 चा.दो 0.02	0.11 0.64	
	योग	2	0.24 हैक्टर	चा.दो. जा.दो.		

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

राजस्व वाद संख्या : **2/2020** Rcms No. 2020/**00001** इन्दरसिंह बनाम भगवानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा न.	रकबा	किस्म	लगान	विवि
2	मंगलसिंह पुत्र नाथूसिंह हि. 35/64 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंह हि. 7/256 छगनकुंवर पुत्री सोहनसिंह हि. 7/256 रूपसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 15/64 मंगलसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 मगसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 भगवानसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1645	0.89 हैक्टर	चा.दो	28.48	
		1646	0.55 हैक्टर	जा.दो चा.दो	14.45	
		1647	0.55 हैक्टर	जा.दो. चा.दो.	16.97	
		1650	0.51 हैक्टर	जा.दो. चा.दो.		
		1651	0.03 हैक्टर	गै.मु. तेड	–	
	योग	5	2.53 हैक्टर			
3	मंगलसिंह पुत्र नाथुसिंह हि. 1/2 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंह हि. 1/40 छगनकुंवर पुत्री सोहनसिंह हि. 1/40 रूपसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 13/60 मंगलसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 मगसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 भगवानसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंह हि. 1/12 जाति राजपूत सा देह खातेदार।	1648	0.01 हैक्टर	गै.मु.बेरा	–	
		1649	0.04 हैक्टर	गै.मु. गवाल	–	
		1650/3	0.03 हैक्टर	चा.दो.	0.96	रास्ते हेतु
	योग	3	0.08 हैक्टर		0.96	

तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा **(खसरा नं 1651 गै. मु. तेड व खसरा नं 1650/4 रकबा 0.03 हैक्टर को छोडते हुए)** को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हों। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॅर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तरमीम के लिए तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बिजापुर को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 03-10-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

इजलास श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादी :–

इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंहजी जाति राजपूत

निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भगवानसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
2. मंगलसिंह पुत्र नाथूसिंहजी
3. मगसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
4. रूपसिंह पुत्र भैरूसिंहजी
5. स्व. सोहनसिंह पुत्र भैरूसिंहजी के कामु. वारिशान:

 5/1 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंहजी

 5/2 छगन कुंवर पुत्री सोहनसिंहजी तमाम जाति राजपुत

 निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 2/2020 Gcms No. 2020/00001

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादी द्वारा ही संयुक्त सहखातेदारी भूमि के विभाजन का वाद पेश किया गया है। विभाजन के उक्त वाद में न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का बिजापुर द्वारा दो बार विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। परंतु हर बार वादी पक्ष द्वारा ही ऐतराज/आपति प्रस्तुत किए जा रहें है। अब न्यायालय कें समक्ष सभी पक्षकार उपस्थित होने तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात विवाद का स्थायी समाधान हो, इस हेतु प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपति को मददेनजर रखते हुए तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ/2021/1283 दिनांक 28.07.21 के अनुसार खसरा नं 1651 रकबा 0.03 हेक्टर गै.मु. तैड की भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में रखते हुए एवं इसके बदले 0.03 हैक्टर वादी को खसरा नं 1650 में से तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में खसरा नं 1650/1 से लगता हुआ भू–भाग रखते हुए ग्राम बिजापुर स्थित भूमि खसरा नं 1645 से 1651 कुल खसरा–7 कुल रकबा 2.85 हैक्टर कुल लगान 80.66 के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिकी जारी की जाती है।

क्र.स.	नम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	विवि
1	इन्दर सिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1650/1	0.21 हैक्टर	जा.दो 0.05 चा.दों 0.16	0.55 5.12	
		1650/4	0.03 हैक्टर	जा.दो 0.01 चा.दो 0.02	0.11 0.64	
	योग	2	0.24 हेक्टर	चा.दो. जा.दो.		
2	मंगलसिंह पुत्र नाथूसिंह हि. 35/64 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंह हि. 7/256 छगनकुंवर पुत्री सोहनसिंह हि. 7/256 रूपसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 15/64 मंगलसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 मगसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 भगवानसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 7/128 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1645	0.89 हैक्टर	चा.दों	28.48	
		1646	0.55 हैक्टर	जा.दो चा.दो	14.45	
		1647	0.55 हैक्टर	जा.दो. चा.दो.	16.97	
		1650	0.51 हैक्टर	जा.दो. चा.दो.		
		1651	0.03 हैक्टर	गै.मु. तेड	—	
	योग	5	2.53 हैक्टर			

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

पेज बाली (जिला–पाली) राज

राजस्व वाद संख्या : **2/2020** Rcms No. 2020/00001 इन्दरसिंह बनाम भगवानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3	मंगलसिंह पुत्र नाथुसिंह हि. 1/2 मदनसिंह पुत्र सोहनसिंह हि. 1/40 छगनकुंवर पुत्री सोहनसिंह हि. 1/40 रूपसिंह पुत्र भैरूसिंह हि. 13/60 मंगलसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 मगसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 भगवानसिंह पुत्र भेरूसिंह हि. 1/20 इन्दरसिंह पुत्र धुलसिंह हि. 1/12 जाति राजपूत सा देह खातेदार।	1648	0.01 हैक्टर	गै.मु.बेरा	—	
		1649	0.04 हैक्टर	गै.मु.गवाल	—	
		1650/3	0.03 हैक्टर	चा.दो.	0.96	रास्ते हेतु
	योग	3	0.08 हैक्टर		0.96	

तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा **(खसरा नं 1651 गै. मु. तेड व खसरा नं 1650/4 रकबा 0.03 हैक्टर को छोडते हुए)** को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हों। निर्णय व डिकी अनुसार रेकॅर्ड में अमलदरामद व नक्शें में तरमीम के लिए तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बिजापुर को लिखा जावें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **03-10-23** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला पाली (राज.)